कार्यालय, नगर पालिक निगम, कोरबा (छत्तीसगढ़)

फा.क. 9/स्वच्छता/छः/2026 | टेंडर नं. 203623 | कोरबा दिनांक 05.11.2026

ई–निविदा आमंत्रण सूचना

कार्यालय नगर पालिक निगम कोरबा द्वारा शासकीय एवं अर्धशासकीय विभाग में सफाई कार्य में अनुभवी ठेकेदारों से ई–प्रोक्युरमेट (E-Tendering) के माध्यम से निविदाऐं आमंत्रित की जाती है :–

क.	कार्य का नाम	प्राक्कलन राशि (लाख में)	धरोहर राशि	निविदा प्रतिभागी शुल्क	कार्यावधि	निविदा खुलने की तिथि
1	वार्ड क 1,2,5,6,7,12 पं. कोरबा जोन क्षेत्र की सफाई कार्य (निगम मद)	140.88	105700/–	3000/–	12 माह	03.12.2026 से .....

शर्ते :–

1. जिन ठेकेदारों द्वारा नगर पालिक निगम के किसी ठेके के कार्य मे अनुबंध के अनुरूप कार्य न किया गया हो अथवा नगर पालिक निगम के हित के विरूद्व कार्य किया गया हो उन्हे निविदा भरने की पात्रता नही होगी

2. निविदा प्राप्त करने हेतु इच्छुक ठेकेदारों को पंजीयन की प्रमाणित प्रतिलिपि यदि साझेदार फर्म हो तो उसका प्रमाण पत्र (पार्टनरशीप डीड) की सत्य प्रतिलिपि, प्राकल्लन राशि के 80 प्रतिशत से अधिक के, सफाई कार्य करने का अनुभव प्रमाण पत्र, पिछले वर्ष का आय प्रमाण पत्र/पेन नम्बर एवं **जी.एस.टी.** पंजीयन प्रमाण पत्र एवं अमानत राशि के FDR/TDR की प्रति ऑनलाईन अपलोड करना अनिवार्य होगा, साथ ही कार्य मे लगे श्रमिको का ई.एस.आई.सी., पी.एफ. मे रजिस्ट्रेशन एवं लेबर लाईसेंस कार्यादेश के 1 माह भीतर कार्यालय में जमा करना होगा। वाहन का स्वामित्व प्रोपाइटर/फर्म के नाम पर होना अनिवार्य होगा। निविदा प्रतिभागी शुल्क का डिमाण्ड ड्राफ्ट एवं धरोहर राशि FDR/TDR का स्केन कापी ऑन लाईन सिस्टम पर अपलोड करना अनिवार्य होगा ।

   - **अमानत राशि का वैध FDR/TDR, निविदा प्रतिभागी शुल्क का DD लिफाफा में कार्य का नाम एवं अन्य विवरण अंकित कर केवल स्पीड पोस्ट/रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से निविदा खुलने की तिथि में दोपहर 3.00 बजे तक आयुक्त,नगर पालिक निगम,कोरबा साकेत भवन, आई.टी.आई.चौक रामपुर कोसाबाड़ी पिन– 495677 कोरबा को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।**
   - **अमानत राशि का FDR/TDR एवं निविदा प्रतिभागी शुल्क का DD जो कि आयुक्त, नगर पालिक निगम,कोरबा के नाम पर देय हो प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।**

3. निविदा अहस्तांतणीय होगा एवं सशर्त निविदाओं पर विचार नही किया जावेगा अर्थात निविदा स्वीकार नही की जावेगी।

4. निविदा के संबंध मे किसी प्रकार की विवाद होने की स्थिति मे आयुक्त का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।

5. निविदा स्वीकृत करने अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार नगर पालिक निगम के पास सुरक्षित होगा।

6 विस्तृत जानकारी नगर पालिक निगम साकेत भवन रामपुर कोरबा के स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग से प्राप्त की जा सकती है।

7. बिना बताए निविदा स्वीकृत/अस्वीकृत या पूर्ण रूप से अमान्य करने का अधिकार सक्षम अधिकारी का रहेगा।

सहायक स्वास्थ्य अधिकारी
नगर पालिक निगम,
कोरबा (छत्तीसगढ़)

प्रतिलिपिः– प्रोग्रामर, संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, नया रायपुर (छ.ग.) को uad.cg.gov.in में अपलोड किये जाने हेतु प्रषित।

Date-Time Detail(s)

Seq. No.	Nagar Nigam Stage	Contractor Stage	Start		Expiry		Remarks
			Date	Time	Date	Time	
1	Release Tender		05.11.2026	15.00	05.11.2026	15.00	Release Tender
2		Bid Submission	05.11.2026	15.00	30.11.2026	17.30	
3		Physical Document Submmission	05.11.2026	15.00	03.12.2026	15.00	
4	Tender Open		03.12.2026	16.00	--	--	

1/11/2026

ASSTT. HEALTH OFFICER
KORBA (CG)
For, Commissioner Korba (C.G.)

OFFICE OF THE MUNICIPAL CORPORATION, KORBA (C.G.)

ABSTRACT

SWEEPING AND CLEANING OF WORK AT WARD NO- 1,2,5,6,7 & 12 KORBA TOWN ZONE AREA

No	Quantity	Item of work	Unit	Rate	Amount	Remarks
		Part-A				
1.	समस्त व्यवसायिक क्षेत्र	वार्ड क. 1,2,5,6,7 एवं 12 के व्यवसायिक क्षेत्र (कोरबा रेल्वे क्रासिंग, बजरंग टाकीज, सप्तदेव मंदिर, सर्वमंगला रोड पुराना दर्री रोड) में झाड़ू लगाकर सड़क एवं संपूर्ण क्षेत्र में सफाई कार्य करना। कचरें को आटोटिपर, मिनीवाहन, रिक्शा द्वारा चयनित स्थल पर एकत्र करना। उक्त कार्य दिन एवं रात्रि में (दिन में दो बार) करना। यह कार्य सप्ताह में प्रत्येक दिन 07 दिवस करना होगा। सफाई कार्य – प्रभारी के निर्देशानुसार कार्य करना होगा।	**RM**			
2.	समस्त वार्ड क्षेत्र	सभी प्रकार के सड़को की सफाई का कार्य एवं सफाई से निकले अपशिष्ट को चयनित स्थल पर एकत्रित करना यह कार्य सप्ताह में 06 दिवस करना होगा। कार्य की बारम्बारता प्रभारी अधिकारी के निर्देशानुसार बढ़ाई जा सकेगी। सड़क सफाई कार्य – अधिकारी के निर्देशानुसार करना होगा।	**RM**			
3.	समस्त वार्ड क्षेत्र	वार्ड क. 1,2,5,6,7 एवं 12 की सभी प्रकार की नालियों की सफाई एवं सफाई से निकले कचड़े को चयनित स्थल पर एकत्र करना उक्त कार्य खूले नालियों की सफाई सप्ताह में 03 दिवस एवं कव्हर्ड नालियों की सफाई आवश्यक्तानुसार/अधिकारी के निर्देशानुसार कार्य करना। सफाई कार्य – प्रभारी के निर्देशानुसार कार्य करना होगा।	**RM**			
4.	जोन के समस्त बडे नाले	उक्त वार्ड के बड़ा नाला की सफाई का कार्य करना एवं सफाई से निकले अपशिष्ठ को चयनित स्थल पर एकत्र करना। यह कार्य 03 महिनें मे एक बार करना होगा, आवश्यकतानुसार या प्राप्त शिकायतों के आधार पर। सफाई कार्य – प्रभारी के निर्देशानुसार कार्य करना होगा।	**RM**			
5.	जोन के सभी सार्वजनिक स्थल	बस स्टैण्ड, सन्डे मार्केट एवं स्थलों की सफाई कार्य करना तथा सफाई कार्य से उत्सर्जित अपशिष्ट को चयनित स्थल पर एकत्र करना। यह कार्य सप्ताह में 07 दिवस या आवश्यकतानुसार प्रभारी के निर्देशानुसार करना होगा।	**RM**			

022 Marg

OFFICE OF THE MUNICIPAL CORPORATION, KORBA (C.G.)

ABSTRACT

SWEEPING AND CLEANING OF WORK AT WARD NO- 1,2,5,6,7 & 12 KORBA TOWN ZONE AREA

No.	Quantity	Item of work	Unit	Rate	Amount	Remarks
6.	निदान शिकायत का निराकरण	निदान 1100 (नाली सफाई, सड़क सफाई, मृत जानवर, कचरा संग्रहण) संबंधी शिकायतों का निराकरण 24 घण्टें के अंदर करना, तथा पोर्टल से शिकायतों को कटवाने का कार्य। यह कार्य प्रभारी अधिकारी के funsZkuq kj d jukgksxkA **Safai Kamgar For part A work.** **ward No 1 - 8** **2 - 8** **5 - 8** **6 - 8** **7 - 8** **12 - 20** **60 स.का.** **50 X 312 day** **10 X 365 day**	**RM**			
7.	**6000 M3**	**Part-B** आईटम क्रमांक–01 से 06 तक, संबंधित क्षेत्र में सड़क झाड़ू, नाली सफाई से उत्सर्जित अपशिष्ठ एवं जोन क्षेत्र के व्यवसायिक, रहवासी सार्वजनिक स्थलों, एवं फैके हुए कचरें को दृष्टिगत तथा अधिकारी के निर्देशानुसार अपशिष्ट को एकत्र कर पृथक–पृथक (गीला–सूखा) स्वयं के वाहन (ट्रैक्टर ट्राली, डम्फर, ट्रक आदि में लोड कर निर्धारित स्थल बरबसपुर ट्रामिल, प्रसंस्करण सेंटर मे परिवहन कर तथा वहॉ गीला कचरा कम्पोस्ट पिट मे डालना तथा सूखे कचरे के अवयवों को उसी दिन पृथक–पृथक करना तथा पृथक किये गये अपशिष्ट के अवयवों (प्लास्टिक, गत्ता, लोहा, कॉच इत्यादि) को प्रतिदिन प्रसंस्करण/पुर्न चक्रिकरण का कार्य किया जायेगा। **नोट** :– पार्ट "ए" में संलग्न कर्मचारियों की संख्या घटायी/बढाई जा सकती है।	**M3**			

2022 Marge